



पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

पंजीकृत कार्यालय : "ऊर्जानिधि", 1, बाराखंबा लेन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001

वेबसाइट: <http://www.pfcindia.com>, सीआईएन:- एल65910डीएल1986जीओआई024862

भाग I :- 30 जून, 2014 को समाप्त तिमाही के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	तिमाही समाप्ति			वर्ष समाप्ति
		30.06.2014 (अनंकेक्षित)	31.03.2014 (अनंकेक्षित)	30.06.2013 (अनंकेक्षित)	31.03.2014 (अंकेक्षित)
1)	प्रचालनों से आय (क) प्रचालनों से आय (ख) अन्य प्रचालनगत आय प्रचालनों से कुल आय	588,035 3,804 591,839	549,875 13,361 563,236	494,136 7,463 501,599	2,097,871 54,371 2,152,242
2)	व्यय (क) ब्याज, वित्त एवं अन्य प्रभार (ख) कर्मचारी लाभ व्यय (ग) मूल्यहास/परिशोधन (घ) अन्य व्यय कुल व्यय	386,570 2,079 147 3,191 391,987	355,759 1,642 122 6,921 364,444	326,309 2,309 127 757 329,502	1,374,813 7,956 493 14,653 1,397,915
3)	अन्य आय और असाधारण मदों से पूर्व प्रचालनों से लाभ (1-2)	199,852	198,792	172,097	754,327
4)	अन्य आय	551	373	111	1,504
5)	असाधारण मदों से पूर्व सामान्य गतिविधियों से लाभ (3+4)	200,403	199,165	172,208	755,831
6)	असाधारण मदें	-	-	-	-
7)	कर पूर्व सामान्य गतिविधियों से लाभ (5+6)	200,403	199,165	172,208	755,831
8)	करगत व्यय (क) आयकर का प्रावधान (ख) आस्थगित कर देयताएँ (+)/आस्थगित कर परिसम्पति (-)	55,577 58,523 -2,946	58,024 66,043 -8,019	52,384 33,448 18,936	214,056 208,613 5,443
9)	कर पश्चात् सामान्य गतिविधियों से निवल लाभ (7-8)	144,826	141,141	119,824	541,775
10)	असाधारण मदें (करगत व्यय घटाकर निवल राशि)	-	-	-	-
11)	अवधि में निवल लाभ (9-10)	144,826	141,141	119,824	541,775
12)	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (शेयर का अंकित मूल्य ₹ 10 है)	132,004	132,004	132,002	132,004
13)	संचित कोष, पुनर्मूल्यांकन संचित कोष को छोड़कर (31 मार्च के लेखापरीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार)	-	-	-	2,605,457
14)	प्रति शेयर आय (ईपीएस) (रुपए में) (क) मूल एवं डाइल्यूटिड ईपीएस (असाधारण मदों से पूर्व) (ख) मूल एवं डाइल्यूटिड ईपीएस (असाधारण मदों के बाद)	10.97 10.97	10.69 10.69	9.08 9.08	41.04 41.04

भाग II:- 30 जून, 2014 को समाप्त तिमाही की चयनित सूचना

ए	शेयरधारिता का विवरण				
1	सार्वजनिक शेयरधारिता शेयरों की संख्या शेयरधारिता का प्रतिशत	359,085,115 27.20%	359,085,115 27.20%	346,953,346 26.28%	359,085,115 27.20%
2	प्रमोटर्स की शेयरधारिता (क) गिरवी/भारग्रस्त शेयरों की संख्या शेयरों का प्रतिशत (प्रमोटर्स की कुल शेयरधारिता के % के रूप में) शेयरों का प्रतिशत (कंपनी की कुल शेयर पूंजी के % के रूप में) (ख) भार मुक्त शेयरों की संख्या शेयरों का प्रतिशत (प्रमोटर्स की कुल शेयरधारिता के % के रूप में) शेयरों का प्रतिशत (कंपनी की कुल शेयर पूंजी के % के रूप में)	- - - 960,955,589 100% 72.80%	- - - 960,955,589 100% 72.80%	- - - 973,061,665 100% 73.72%	- - - 960,955,589 100% 72.80%

बी	निवेशक की शिकायतें	इक्विटी शेयर	ऋण प्रतिभूतियाँ
	विवरण		
	तिमाही के प्रारंभ से लंबित	2	4
	तिमाही के दौरान प्राप्त	98	746
	तिमाही के दौरान निपटान	99	740
	तिमाही के अंत तक निपटाई न गई	1*	10#

* लंबित # जब से सुलझाई गई

टिप्पणियाँ :-

- 30.06.2014 को समाप्त तिमाही के लिए उपरोक्त वित्तीय परिणामों की 13.08.2014 और 14.08.2014 को आयोजित बैठकों में निदेशकों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा और संस्तुति की गई और निदेशक मंडल द्वारा उन्हे अनुमोदित किया गया। कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा इनकी सीमित समीक्षा की गई।
- कंपनी का मुख्य व्यवसाय विद्युत क्षेत्र के लिए वित्त प्रदान करना है। इस प्रकार, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानक 17- 'खंड रिपोर्टिंग' के अनुरूप, रिपोर्ट करने योग्य कोई अन्य अलग सूचित करने योग्य खंड नहीं है।
- कंपनी ने एएस-11 के पैरा 46ए के अंतर्गत 'विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभावों' के विकल्प को दीर्घ अवधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतरों को उनकी ऋण अवधि में परिशोधन के लिए अपनाया है। इसके परिणामस्वरूप, 30.06.2014 को विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद विनिमय अंतराल लेखा (एफसीएमआईटीडीए) में ₹ 61,325 लाख (31.03.2014 को ₹ 70,921 लाख) अग्रणीत किए गए हैं जिन्हें एक लाइन मद के रूप में, "आरक्षित और आधिक्य" हेड के अंतर्गत तुलन पत्र के "इक्विटी और देयताओं" पक्ष में दर्शाया गया है।
- कंपनी ने 12वीं योजना अवधि के लिए व्यय के आर-एपीडीआरपी नोडल एजेंसी शुल्क/प्रतिपूर्ति के संबंध में दिनांक 15.07.2013 के एमओपी संचार के माध्यम से व्यय विभाग (डीओई) ने मानदंडों को संशोधित करने के लिए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार (जीओआई) को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। अंतिम रूप दिए जाने तक, 2013-14 की चौथी तिमाही से, ऐसे शुल्क/व्यय की प्रतिपूर्ति (01.04.2012 से प्रभावी) के लिए लेखांकन अनंतिम आधार पर किया गया और स्वीकृत परियोजना लागत या वास्तविक व्यय के 0.5%, जो भी कम है, डीओई द्वारा दिए संकेत के रूप में, सीमित किया गया है। तदनुसार, तिमाही के दौरान ₹ 8 लाख की राशि नोडल एजेंसी शुल्क के रूप में स्वीकृत की गई। इसके अलावा, अन्य व्यय के लिए ₹ 323 लाख को आर-एपीडीआरपी को आवंटित किया गया है।
- एक सरकारी स्वामित्व वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी होने के नाते कंपनी को विवेकपूर्ण मानदंड से संबंधित आरबीआई दिशानिर्देशों से छूट प्राप्त है। हालांकि, आरबीआई ने 31.03.2016 तक भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंड का अनुपालन करने के लिए कदम उठाने के लिए कंपनी को निर्देश दिया है। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक ने 31.03.2016 तक केन्द्रीय/राज्य सरकार संस्थाओं को लोगों तक पहुंचाने के संबंध में ऋण एकाग्रता मानदंडों से छूट की अनुमति दी है। पुनर्गठन/पुनर्नियोजन/पुनः वार्ता (आर/आर/आर) मानदंडों के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने पत्र दिनांक 03.04.2014 के तहत आरबीआई परिपत्र डीएनबीएस.सीओ.पीडी.सं. 367/03.10.01/2013-14 दिनांक 23.01.2014 में निहित निर्देशों का पालन करने की कंपनी को सलाह दी है। यह मामला आरबीआई के आर/आर/आर मानदंडों को लागू करने के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक के साथ उठाया गया। इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र दिनांक 11.06.2014 के अनुसार, 31.03.2017 तक अर्थात् 3 वर्ष की अवधि के लिए हिमालय क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाओं और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित ट्रांसमिशन और वितरण, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण और जीवन विस्तार परियोजनाओं को इसके पुनर्गठन मानदंडों को लागू करने से छूट प्रदान की है। इसके अलावा, नई परियोजनाओं के लिए 01.04.2015 से प्रभावी पुनर्गठित उत्पादन कंपनियों को ऋण, प्रावधान आवश्यकता 5% होगी और सभी उत्पादक कंपनियों को 31.03.2015 को ऐसे बकाया ऋणों के लिए प्रावधान आवश्यकता 2.75% से प्रारम्भ होगी और 31.03.2018 तक 5% होगी। यह प्रावधान उचित मूल्य में कमी के लिए प्रावधान के अतिरिक्त है। कंपनी ने अपने पत्र दिनांक 03.07.2014 के तहत आरबीआई को कार्यान्वयन योजना भेजी है।
- 1 अप्रैल 2014 से प्रभावी, कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार संपत्ति के उपयोगी जीवन पर, कम होती मूल्य विधि के अनुसार, समय समय पर अनुमानित अपने अवशिष्ट मूल्य से कम संपत्ति की मूल लागत पर संपत्ति पर मूल्यहास लगाया जाता है।
- कर व्यय में चालू वर्ष कर प्रावधान और पूर्व वर्षों के कर व्यय/समायोजन शामिल हैं।
- पूर्व अवधि के आंकड़ों को, तुलनीय बनाने के लिए, जहां आवश्यक हुआ, पुनः समूहित/पुनः व्यवस्थित किया गया है।

हस्ता./-

(एम.के. गोयल)

निदेशक (वाणिज्यिक) और

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएन-00239813

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 14 अगस्त, 2014